भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3501
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

आईआईएम में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन

3501. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आईआईएम की संख्या और स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने आईआईएम के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
(ग) यदि हाँ, तो इसके पहले चरण की वर्तमान स्थिति क्या है और नए शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावास परिसरों जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित क्षमता और पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(घ) आईआईएम, कलकत्ता में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थान पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है;
(च) आईआईएम, कलकत्ता में वर्तमान संकाय-छात्र अनुपात क्या है और बढ़ते छात्र प्रवेश के दृष्टिगत इष्टतम शिक्षण और मार्गदर्शन मानदंडों को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(छ) विशेषकर वैश्विक शैक्षणिक और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, उच्च-गुणवत्ता वाले संकाय को बनाए रखने और उसकी ओर आकर्षित करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): वर्तमान में देश में 21 आईआईएम हैं, राज्यवार स्थापित आईआईएम की सूची https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर देखी जा सकती है।

आईआईएम, समय-समय पर संशोधित आईआईएम अधिनियम 2017 के अंतर्गत शासित होते हैं। इस अधिनियम के तहत, आईआईएम को आवश्यकतानुसार बुनियादी ढाँचा स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। आईआईएम कलकत्ता के मास्टर प्लान को संस्थान के शासी बोर्ड

द्वारा अनुमोदित किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को इस परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने छात्रावास भवन के निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए निविदा जारी की है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से सांविधिक अनुमोदन मिलने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। छात्रावास भवन में लगभग 926 विद्यार्थियों के रहने की क्षमता होगी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा समय-सीमा निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि से दो वर्ष दी गई है।

(च) और (छ): आईआईएम कलकत्ता में वर्तमान संकाय-विद्यार्थी अनुपात 11.4:1 है। आईआईएम अधिनियम संस्थान को शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी) और क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) रैंकिंग द्वारा जारी प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक रैंकिंग में निरंतर शामिल रहा है। संस्थान ने संकाय सदस्यों को आकर्षित करने के लिए शिक्षण और अनुसंधान नीतियों का एक संतुलित तंत्र तैयार किया है। प्रबंधन कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम अत्याधुनिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुसंधान पहलों में सहायता करने के लिए प्रचुर अनुसंधान निधि उपलब्ध है। अनुसंधान और शिक्षण की गुणवत्ता और संख्या वर्धन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। संकाय उद्योग से जुड़ाव और संस्थान के संसाधन सृजन के लिए, कार्यकारी शिक्षा गतिविधियों में भी योगदान देते हैं। ये सभी वैश्विक और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के बीच उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायता करते हैं।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा "आईआईएम में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन" के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3501 के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

क्रम संख्या	आईआईएम का नाम	राज्य
पहली पीढ़ी		
1	आईआईएम अहमदाबाद	गुजरात
2	आईआईएम बैंगलोर	कर्नाटक
3	आईआईएम कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
4	आईआईएम इंदौर	मध्य प्रदेश
5	आईआईएम कोझिकोड	केरल
6	आईआईएम लखनऊ	उत्तर प्रदेश
दूसरी पीढ़ी		
7	आईआईएम काशीपुर	उत्तराखंड
8	आईआईएम रायपुर	छत्तीसगढ़
9	आईआईएम रांची	झारखंड
10	आईआईएम रोहतक	हरियाणा
11	आईआईएम शिलांग	मेघालय
12	आईआईएम तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
13	आईआईएम उदयपुर	राजस्थान
तीसरी पीढ़ी		
14	आईआईएम अमृतसर	पंजाब
15	आईआईएम बोधगया	बिहार
16	आईआईएम जम्मू	जम्मू और कश्मीर
17	आईआईएम नागपुर	महाराष्ट्र
18	आईआईएम संबलपुर	ओडिशा
19	आईआईएम सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
20	आईआईएम विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
21	आईआईएम मुंबई (तत्कालीन राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान)	महाराष्ट्र

*****